भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1114**
उत्तर देने की तारीख 13 फरवरी, 2025
24 माघ, 1946 (शक)

## राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का प्रारूप

**1114 श्रीमती फूलो देवी नेतमः**
**श्रीमती रंजीत रंजन:**
**श्री हरीस बीरन:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2024 का राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर क्या अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या मंत्रालय ने एथलीटों और एनएसएफ सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया है और इन परामर्शों से प्राप्त प्रमुख सुझाव क्या हैं; और

(ग) विधेयक को अंतिम रूप देने और लागू करने की समय सीमा क्या है, तथा एनएसएफ द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाने की योजना है?

**उत्तर**

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक के प्रारूप का उद्देश्य खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय, सुशासन प्रथाओं के माध्यम से खेलों में नैतिक प्रथाओं का प्रावधान करना; खेल परिसंघों के शासन के लिए संस्थागत क्षमता की स्थापना करना है, जो ओलंपिक और खेल आंदोलन के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के मूलभूत सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से स्थापित उपायों आदि पर आधारित हो।

(ख) जी हां। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक के प्रारूप को जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/ सुझावों को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल परिसंघों एनएसएफ), एथलीटों, कोचों और खेल वकीलों के साथ हितधारक परामर्श भी किया। हितधारकों से प्राप्त मुख्य इनपुट खेल निकायों के पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल, साधारण सभा और कार्यकारी समिति में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, कार्यकारी समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, खेल चुनाव पैनल आदि से संबंधित हैं।

(ग) कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

****